(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 04/2023-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न ";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फाइल संख्या- सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।